

राजस्थान सरकार  
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग  
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6 सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004  
क्रमांक F1(BRAP)RC/2021/F&B-00016 | 260 दिनांक 15/7/2021

### आदेश

राज्य के उद्योगों पर व्यावसायिक नियामकों की अनुपालनाओं (Regulatory Compliances) का बोझ कम कर उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा EoDB के लिये निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत बायलर को विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन संख्या जारी की जाती है अतः बायलर प्रमाणपत्र के नवीनीकरण आवेदन (renewal application of boilers) में भरे जाने वाले फॉर्म के आकार को कम (reduced form size) किये जाने हेतु फॉर्म में से Maker's Name के कॉलम (Text Field) को कम (remove) कर दिया जावे।

3-1  
15/07/2021  
(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स  
राजस्थान, जयपुर